रहे है। अभियोगन का इस आबादी पर लगभग पश्चिमी के कब्जा चला आ रहा है अतः अतः गर्मियां पत्र खारिज किया जाये।

पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष की बहस का मनन किया आवेदनी मुलजिमान ग्रामों व अन्य व्यक्तियों की दखलकारी में है। ग्रामों ने अभियोगन के विरुद्ध बेदखली का वाद प्रस्तुत किया है अर्थात वे स्वयं अभियोगन का कब्जा बाधाग्रस्त आबादी पर मानते है अभियोगन ने भी उक्त आबादी स्थल के कब्जा होने के दस्तावेज पेश किये है व अभियोगन द्वारा भी खातेदारी प्राप्त करने के लिये वाद पेश किया गया है प्रकरण में खातेदारी के तथ्य फलवार के बाद आये देही किए होंगे अतः मौके पर वाद कुलता रोकने के उद्देश्य से ग्रामीण व अभियोगन को अस्थायी निषेधाज्ञा फलवार के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है कि ~~अभी~~ बाधाग्रस्त आबादी के मौके व दखल देखरेख की यथास्थिति बनी रहे पंचायत खर्मा स्थल पर रहने वाले प्रजावली जमत शुमार हो या गम्भीर रूप हो व दोषित दखल हो।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत/कैम्प कोर्ट

[illegible] पत्रावली पेश हुई। वादी [illegible] ग्रामों के नोटिस जारी किये जाने बाबत पारित [illegible] तामिली हेतु [illegible] को पेश हो।

DN. - 3281-83
09-04-18

उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद

25.5.18

पीठासीन अधिकारी के [illegible] कार्यालय से बाहर दौरे/अवकाश पर होने/[illegible] कार्य में व्यस्त रहने के कारण पत्रावली [illegible] आदेश की पालना में दिनांक 20.6.18 को पेश हो।

आदेशानुसार

रीडर

न्याय आपके द्वार अभियान - 2018

लोक अदालत

20.6.18 पत्रावली कैम्प कोर्ट बिठूर में पेश हुई। ग्रामों के उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त अपील के हल खसरा नम्बर 517, 518, 530, 625, 685, 688, 693, 697, 727 ग्रामों की खातेदारी की है जिस पर अभियोगगण का कोई हक व अधिकार नहीं है किन्तु अभियोगगण ने फर्जी उक्त आराजी पर कब्जा कर लिया है व मौके पर कृषि कार्य पर आमादा है। अतः अभियोगगण को कब्जा दिलाये जाने बाबत निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा इस को गांव की व इस निर्माण के ही अपनी उक्त आराजी पर काबिज थे